न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 11/2024

दायरा दिनांकः— 06.05.2024

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

बद्री पुत्र शंकर जाति ढीमर निवासी गांजन तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां (राजस्थान)। — रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :— 29.07.2024

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत तहसीलदार शाहबाद के प्रकरण संख्या 426/23 निर्णय दिनांक 28.02.2023 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ग्राम गुर्जरा की आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 4.00 बीघा किस्म गै.मु.बिलानाम पर अतिक्रमी मानकर 60/— रूपये जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिये हैं तथा पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत, मनमाना व विधि विरूद्ध एवं अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत पारित किया है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे मिथ्या रिपोर्ट पेश की है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच व सुनवाई किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी हुये बिना सिविल कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जा सकता है। पश्चातवर्ती होने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलान्ट के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्व करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलीनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न है परन्तु स्वतंत्र गवाहों के बयान संलग्न नहीं हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित आराजी से अपना कब्जा छोड दिया हो तथा तावान राशि जमा करा दी हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner